

क्रि० मिस० केश नं०- 569 / 2017

14/12/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलाकन किया। अवलाकनापरात स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधानिक अवधि एक वर्ष बीत चुकी है। उभय पक्ष की ओर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

14/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
गाड्डा।

14/12/2020  
अनुमण्डल दण्डाधिकारी  
गाड्डा